संख्या-3/2016/579/26-2-2016-100(02)/2007

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1- **समस्त मण्डलायुक्त,**
उत्तर प्रदेश

2- **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 29 फरवरी, 2016

विषयः- **वृद्धावस्था पेंशन/पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन)/विकलांग भरण-पोषण अनुदान (विकलांग पेंशन) योजना के अन्तर्गत आवेदन-पत्र, स्वीकृति एवं वितरण इण्टरनेट आधारित प्रणाली द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में**

महोदय,

आप अवगत हैं कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से वृद्धावस्था, पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन)/विकलांग भरण-पोषण अनुदान (विकलांग पेंशन) योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि का भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में किया जा रहा है। उपरोक्त पेंशन योजनाओं में लाभार्थियों के आवेदन-पत्रों का त्वरित, प्रभावी एवं पारदर्शिता के साथ निस्तारण कर उन पर स्वीकृति एवं अस्वीकृति की कार्यवाही करते हुए पात्र अभ्यर्थियों को समय से सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत लाभान्वित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 से उक्त तीनों योजनाओं में लाभार्थियों से आनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित करने की व्यवस्था लागू की जा रही है।

2- उपरोक्त के सम्बन्ध में समाज कल्याण, महिला कल्याण एवं विकलांग जन विकास विभागों द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन, पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन)/विकलांग भरण-पोषण अनुदान (विकलांग पेंशन) योजना के अन्तर्गत पात्रता की शर्तें यथावत् रहेगीं।

3- उपरोक्त पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से आनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा समाचार-पत्रों, पोस्टर, पम्प्लेट्स, तहसील दिवसों आदि के माध्यम से जन-सामान्य को सम्यक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे आम जनता को योजना के सम्बन्ध में आगामी वित्तीय वर्ष से आनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अनिवार्यता की जानकारी हो सके।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उपरोक्त पेंशन योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थी द्वारा आवेदन करने, सक्षम स्तर से स्वीकृति एवं तदुपरांत पेंशन के वितरण की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2016-17 से निम्नानुसार होगी:

1. **<u>आनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रियाः-</u>**

I. योजना के अन्तर्गत समाज कल्याण, महिला कल्याण एवं विकलांग जन विकास विभाग द्वारा एन0आई0सी0 के सहयोग से विकसित किये जाने वाले पोर्टल पर आवेदकों द्वारा **01 अप्रैल, 2016 से** वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/ पर लॉगिन करके आनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया के लागू होने के उपरान्त लाभार्थियों को आनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। अन्य किसी माध्यम से भरे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

II. आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र जन-सुविधा केन्द्रों (कामन सर्विस सेन्टर), जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला विकलांग जन विकास अधिकारी कार्यालय (जिससे सम्बन्धित हो), साइबर कैफे, निजी इण्टरनेट केन्द्र अथवा विभागीय वेबसाइट पर स्वयं द्वारा भरा जा सकता है। लोकवाणी के माध्यम से स्थापित ''जन-सुविधा केन्द्रों'' के माध्यम से आवेदन पत्र आनलाइन भरने की स्थिति में आवेदक को जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम् शुल्क जन-सुविधा केन्द्र प्रभारी को भुगतान करना होगा। निजी इंटरनेट केन्द्र/साइबर कैफे में निर्धारित शुल्क का भुगतान आवेदक को स्वयं करना होगा।

III. आनलाइन आवेदन पत्र में दर्ज प्रविष्टियों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। यदि आवेदक द्वारा कोई प्रविष्टि गलत दर्ज कर दी गयी है तो आवेदक द्वारा दर्ज प्रविष्टियों में आवेदन पत्र अन्तिम रूप से पोर्टल पर आनलाइन सबमिट (Submit) करने से पूर्व सुधार किया जा सकता है।

IV. आवेदक द्वारा आवेदन के समय निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप के सभी कालमों को भरना अनिवार्य होगा एवं आवेदन पत्र के साथ **वृद्धावस्था पेंशन** हेतु आवेदन के लिए आवेदक की आयु का प्रमाण-पत्र (परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति) अथवा शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो, आय प्रमाण-पत्र (यदि लाभार्थी बी0पी0एल0 सूची में है, तो सम्बन्धित सूची की छाया प्रति) एवं सी0बी0एस0 बैंक खाते (आई0एफ0एस0 कोड सहित) की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। **विकलांग भरण पोषण अनुदान (विकलांग पेंशन) योजना** हेतु पात्रता के लिए निर्धारित आय-प्रमाण पत्र एवं सक्षम चिकित्साधिकारी के स्तर से निर्गत कम-से-कम 40 प्रतिशत विकलांगता का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। **पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन)** हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

योजनान्तर्गत निर्धारित आय प्रमाण-पत्र के साथ विधवा की उम्र से सम्बन्धित प्रपत्र/साक्ष्य तथा पति की मृत्यु से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

V. उपरोक्त सभी पेंशन योजनाओं में आवेदक को अपना **आधार नंबर** दर्ज करना आवश्यक होगा।

VI. लाभार्थी का बैंक खाता स्टेट बैंक आफ इण्डिया, राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा अधिकृत ऐसे बैंकों में खोला जाएगा, जो ''कोर बैंकिंग सिस्टम'' के अधीन हैं, जिन्हें आई0एफ0एस0 कोड प्रदत्त हों तथा जो पी0एफ0एम0एस0 पर रजिस्टर्ड हो, ताकि ई-पेमेंट के माध्यम से उनके खातों में सीधे धनराशि अंतरित की जा सके।

VII. आनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने के उपरान्त संबंधित सेवा-प्रदाता एजेन्सी के इस कार्य हेतु नामित कार्मिक द्वारा आवेदक की भरी गयी प्रविष्टियों के संबंध में पूरी जानकारी पढ़कर आवेदक को सुनाई जायेगी एवं उसके संतुष्ट होने के उपरान्त ही उसके आवेदन पत्र को सबमिट (Submit) करते हुए अग्रसारित किया जायेगा।

VIII. आनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय आवेदक को अपना अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटो एवं बिन्दु-iv में उल्लिखित आयु प्रमाण-पत्र, पहचान प्रमाण पत्र के रूप में उल्लिखित अभिलेख, विकलांगता की स्थिति में विकलांग प्रमाण-पत्र, पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) के प्रकरण में पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।

IX. सम्बन्धित आवेदक द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड करके उस पर यथा स्थान हस्ताक्षर/निशानी अगूंठा बनाकर सभी आवश्यक संलग्नकों यथा-आय प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, आयु का प्रमाण-पत्र, पहचान-पत्र, विकलांग भरण-पोषण अनुदान (विकलांग पेंशन) के प्रकरण में सक्षम अधिकारी के स्तर से निर्गत विकलांगता प्रमाण-पत्र, एवं बैंक-खाता सम्बन्धी प्रपत्र की हार्ड कापी पर भी पुष्टि स्वरूप अपने हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा लगाकर साथ में संलग्न करते हुए आवेदक द्वारा हार्ड कापी वृद्धावस्था पेंशन से सम्बन्धित आवेदन-पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में, पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) से सम्बन्धित आवेदन-पत्र जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में तथा विकलांग भरण-पोषण अनुदान (विकलांग पेंशन) से सम्बन्धित आवेदन-पत्र जिला विकलांग जन विकास अधिकारी के कार्यालय में **विलंबतम ऑनलाईन आवेदन की तिथि से 30 दिन के अंदर** अनिवार्यतः जमा किया जाएगा तथा सम्बन्धित कार्यालय से निर्धारित प्रारूप पर ''कम्प्यूटर-जेनरेटेड'' प्राप्ति-रसीद प्राप्त की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

2. <u>जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला विकलांग जन विकास अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी का दायित्वः-</u>

I. आवेदन-पत्र कार्यालय में प्राप्त होने के पश्चात् जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला विकलांग जन विकास अधिकारी द्वारा पोर्टल पर अपलोड कराये गए आवेदक के डाटा का मिलान हार्ड-कापी से किया जाएगा एवं मिलान करने के उपरान्त ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन-पत्रों को आन-लाइन सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के लॉगिन आई0डी0 पर सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को सत्यापन एवं तत्सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रियानुसार पात्र अभ्यर्थियों को सहायता स्वीकृति/अपात्रों की अस्वीकृति की कार्यवाही हेतु 07 दिनों के अंदर अनिवार्यतः अग्रसारित किया जाएगा।

II. शहरी क्षेत्र के पेंशन लाभार्थियों के प्रकरण में सम्बन्धित आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला विकलांग जन विकास अधिकारी द्वारा तत्सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रियानुसार पात्र अभ्यर्थियों को सहायता स्वीकृति/अपात्रों की अस्वीकृति की कार्यवाही हेतु संबंधित उप जिलाधिकारी को 07 दिनों के अंदर अनिवार्यतः अग्रसारित किया जाएगा।

III. सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्तानुसार आनलाइन अग्रसारित तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला विकलांग जन विकास अधिकारी के कार्यालय से आनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों का स्थलीय सत्यापन सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारियों के माध्यम से कराते हुए पेंशन हेतु पात्र एवं अपात्र आवेदकों के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रियानुसार ग्राम पंचायत की बैठक में संस्तुति/असंस्तुति की कार्यवाही कराते हुए सम्बन्धित सूची एवं आवेदन-पत्र **45 दिनों के अन्दर** सम्बन्धित ग्राम पंचायत से वापस प्राप्त करते हुए अपने लॉगिन आई0डी0 से आनलाइन सम्बन्धित आवेदन-पत्रों को स्वीकृति/अस्वीकृति का अंकन करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला विकलांग जन विकास अधिकारी को अग्रसारित करेगें तथा हार्डकापी (आवेदन-पत्र एवं सम्बन्धित स्वीकृति/अस्वीकृति की सूची) **07 दिनों के अन्दर** सम्बन्धित कार्यालयों को अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

IV. शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार सम्बन्धित अधिकारियों से अग्रसारित आनलाइन आवेदन-पत्र प्राप्त होने की स्थिति में संबंधित उप जिलाधिकारी द्वारा नामित राजस्व कर्मियों से सत्यापन कराते हुए निर्धारित प्रक्रियानुसार पात्रता/अपात्रता की स्थिति में स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्यवाही करते हुए विलम्बतम् **45 दिनों के अन्दर** आनलाइन आवेदन-पत्र अपनी लॉगिन आई0डी0 से जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला विकलांग जन विकास अधिकारी को अग्रसारित करेंगे तथा सम्बन्धित आवेदन-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पत्रों की हार्ड कापी सूचियों सहित सम्बन्धित कार्यालयों को **07 दिनों के अन्दर** उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

V. जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला विकलांग जन विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा आनलाइन अग्रसारित आवेदन पत्रों पर समयबद्ध कार्यवाही हेतु 30 दिनों के पश्चात् सम्बन्धित उप-जिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी को अनुस्मारक ''एस0एम0एस0'' भेजा जायेगा। तत्पश्चात् कोई कार्यवाही न होने की स्थिति में 07 दिनों के उपरान्त द्वितीय अनुस्मारक ''एस0एम0एस0'' तथा तृतीय अनुस्मारक एस0एम0एस0 44 वें दिन भेजा जायेगा। यदि निर्धारित अवधि (45 दिन) में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट संस्तुति अथवा निरस्तीकरण की सूचना आनलाइन अपने डिजिटल सिग्नेचर से उपलब्ध नहीं कराते हैं तो ऐसे लंबित प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण हेतु जिलाधिकारी की तरफ से संबंधित उप-जिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी को निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

VI. यदि ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित 45 दिनों के अंदर आवेदकों के प्रकरणों पर विचार कर संस्तुति/असंस्तुति की कार्यवाही सम्पन्न नहीं की जाती है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित खण्ड विकास अधिकारी स्वमेव आवेदकों की पात्रता की नियमानुसार जांच कराकर तथा पात्र एवं अपात्र पाये गये आवेदकों की सूची को ग्राम पंचायत के कार्यालय में चस्पा कराने के उपरांत पात्र आवेदकों के संबंध में अपनी संस्तुति **विलंबतम 15 दिनों में** अपने डिजिटल सिग्नेचर से संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारी के लॉगिन आई0डी0 पर अग्रसारित करेंगे।

VII. इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में भी उप जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि निर्धारित 45 दिनों के अंदर कार्यवाही पूर्ण नहीं होती है, तो किसी अन्य अधिकारी के माध्यम से आवेदकों की पात्रता की नियमानुसार जांच कराकर तथा पात्र एवं अपात्र पाये गये आवेदकों की सूची को अपने कार्यालय में चस्पा कराने के उपरांत पात्र आवेदकों के संबंध में अपनी संस्तुति **विलंबतम 15 दिनों में** अपने डिजिटल सिग्नेचर से संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारी के लॉगिन आई0डी0 पर अग्रसारित करेंगे।

VIII. उपरोक्त के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदन-पत्रों का निर्धारित समयान्तर्गत निस्तारण न होने तथा अनुस्मारक के बावजूद भी वांछित कार्यवाही न होने पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी का दायित्व निर्धारित करते हुए उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। शहरी क्षेत्रों में भी वांछित कार्यवाही समय से संपादित न करने पर संबंधित राजस्व विभाग के अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

IX. यदि पेंशन स्वीकृति सम्बन्धी कार्यवाही में सम्बन्धित ग्राम प्रधान की लापरवाही परिलक्षित होती है, तो उन्हें भी पंचायती राज अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत शासकीय कार्य न करने के सम्बन्ध में जिला पंचायत राज अधिकारी के संज्ञान में लाते हुए कारण बताओ नोटिस आदि निर्गत कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाएगी।

X. शहरी क्षेत्र के पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों से सम्बन्धित उपरोक्त कार्यवाही का समय-समय पर उप जिलाधिकारी से अनुश्रवण कराकर समयबद्ध ढंग से सम्पादित कराते हुए उपजिलाधिकारी द्वारा **तहसील स्तर पर** इस योजना के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु एक **नोडल अधिकारी** नामित किया जायेगा जो योजनान्तर्गत आनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों का स्थलीय सत्यापन राजस्व विभाग के अधिकारियों से कराकर उनके सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार समयबद्ध कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करेगा। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के पेंशन लाभार्थियों के सम्बन्ध में **विकास खण्ड स्तर पर** खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किसी अनुभवी एवं वरिष्ठ अधिकारी को **नोडल अधिकारी** नियुक्त किया जाएगा, जो उक्तानुसार समस्त कार्यवाही समयबद्ध ढंग से सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेगा।

XI. खण्ड विकास अधिकारियों तथा उप जिलाधिकारियों के माध्यम से पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार जॉचोपरान्त डिजिटल सिग्नेचर से आनलाइन अग्रसारित आवेदन-पत्रों तथा उनकी हार्ड कापी प्राप्त होने के उपरान्त पेंशन हेतु पात्र/अपात्र समस्त संस्तुत प्रकरणों की सूचियॉ जो कम्प्यूटर जनरेटेड होगीं, साइट से प्राप्त कर **15 दिन के अन्दर** जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला विकलांग जन विकास अधिकारी द्वारा तत्सम्बन्ध में सम्बन्धित पेंशन योजनान्तर्गत पूर्व निर्धारित जनपद स्तरीय समिति की हार्डकापी पर स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करते हुए स्वीकृति से सम्बन्धित मामलों में सम्बन्धित आवेदन-पत्रों को आनलाइन डिजिटल सिग्नेचर से एन0आई0सी0 के सर्वर पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाएगा। इसी प्रकार जो आवेदक अपात्र पाये जायेगें और उनकी पेंशन अस्वीकृत की गयी है, उनको भी पोर्टल पर डिजिटल सिग्नेचर से कारण सहित रिजेक्ट करना सुनिश्चित करेगें।

XII. स्वीकृत पेंशन के मामलों में सम्बन्धित लाभार्थियों को नियमानुसार देय पेंशन की धनराशि का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से सर्वर पर डाटा अपलोड करने एवं तदुपरान्त रिस्पांस प्राप्त होने पर तत्सम्बन्ध में पूर्व से प्रचलित व्यवस्थानुसार ई-पेमेंट के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों के माध्यम से की जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

XIII. यदि आवेदकों के द्वारा अपने आवेदन-पत्र में मोबाईल नंबर अंकित किया गया है, तो उनके आवेदन-पत्र के स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किये जाने की जानकारी एस0एम0एस0 के माध्यम से उक्त मोबाईल नंबर पर प्रेषित की जायेगी।

3. <u>जनपद स्तरीय समिति</u>

पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत आनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित करने की प्रक्रिया के सुचारू एवं प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निम्नानुसार जनपद स्तरीय समिति का गठन किया जाता हैः-

1. जिलाधिकारी-	अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3. पेंशन से सम्बन्धित विभाग के सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी (जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी/ जिला विकलांग जन विकास अधिकारी)	सदस्य सचिव

जिलाधिकारी आवश्यकतानुसार जनपद स्तरीय समिति में अन्य अधिकारियों को भी सम्बद्ध कर सकते हैं। जनपद स्तरीय समिति माह में कम-से-कम एक बार बैठक करेगी।

समिति में मुख्यतः निम्नवत् बिन्दुओं पर विचार कर कार्यवाही की जाएगीः-

I. सदस्य सचिव द्वारा जनपद स्तरीय समिति की बैठक में सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत भुगतान की गयी धनराशि,
II. नये लाभार्थियों को पेंशन स्वीकृति की स्थिति,
III. पेंशन सत्यापन की स्थिति तथा
IV. आनलाइन भरे गये आवेदन-पत्रों में निर्धारित अवधि के अन्तर्गत स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्यवाही की समीक्षा
V. विकास खण्ड वार/तहसील वार लम्बित आवेदन-पत्रों के निस्तारण की समीक्षा

<u>अभिलेखों का रख-रखावः-</u>

5- इस सम्बन्ध में जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला विकलांग जन विकास अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर निम्न अभिलेखों का रख-रखाव अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जायेगाः-

1) आवेदन पत्र प्राप्ति पंजी।

2) जिला स्तरीय समिति के स्तर से स्वीकृत किये गये आवेदन पत्रों की पंजी एवं पत्रावली।

3) भुगतान की गयी धनराशि के विवरण से संबंधित पूर्व निर्धारित्त पंजी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उक्त योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर लाभार्थियों के आवेदन पत्रों की हार्ड कापी एवं संबंधित पंजिकाओं को अद्यतन संरक्षित करने तथा भुगतान के उपरान्त पोर्टल पर उपलब्ध करायी गयी लाभार्थियों की सूची से भुगतान पंजी को अद्यतन करने, संबंधित डेटा को डी0वी0डी0 में सुरक्षित एवं संरक्षित करने तथा आडिट कराने का दायित्व संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी का होगा।

6- मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला विकलांग जन विकास अधिकारी एवं जनपद के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि समस्त उप जिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी एवं योजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के समक्ष साफ्टवेयर का प्रदर्शन करा दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में उनकी जिज्ञासा का समाधान हो जाए। किसी भी तकनीकी समस्या का निराकरण जनपद के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र से समन्वय स्थापित करना सुनिश्चित करेंगें।

भवदीय,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव।

संख्या- 3/2016/579(1)/26-2-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, महिला कल्याण/विकलांग जन विकास, उ0प्र0 शासन
2. निदेशक, समाज कल्याण/महिला कल्याण/विकलांग जन विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक, समाज कल्याण/महिला कल्याण/विकलांग जन विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला विकलांग जन विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाइल।

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।